

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./09/2020

1. बाबूलाल पुत्र जवरीलाल जाति खाती निवासी मसूदा रोड़ शिव कॉलोनी ब्यावर तहसील ब्यावर जिला ब्यावर राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र नाथू जाति गुर्जर निवासी बड़लाखेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. सोराज पुत्र तेजू जाति गुर्जर निवासी बड़लाखेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. तेजू पुत्र रूपा जाति गुर्जर निवासी बड़लाखेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
4. रघुनाथ पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी बड़लाखेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. सुरता देवी पुत्री श्री रामा जाति जाट निवासी उदयपुरखेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

- उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री धर्मवीर बामनिया
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा बड़लाखेड़ा पटवार क्षेत्र लामगरा भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 112 में दर्ज खसरा नं. 110 रकबा 0.15, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.29, खसरा नं. 146 रकबा 0.52, खसरा नं. 151 रकबा 2.18, खसरा नं. 152/1572 रकबा 0.10, खसरा नं. 153 रकबा 0.05, खसरा नं. 154 रकबा 0.58, खसरा नं. 155 रकबा 0.36, खसरा नं. 156 रकबा 0.20, खसरा नं. 157 रकबा 0.11, खसरा नं. 159 रकबा 0.32, खसरा नं. 160 रकबा 0.22, खसरा नं. 161 रकबा 0.24, खसरा नं. 162 रकबा 1.19, खसरा नं. 163 रकबा 0.47, खसरा नं. 164 रकबा 0.27, खसरा नं. 180 रकबा 0.37 खसरा नं. 181 रकबा 0.06, खसरा नं. 182 रकबा 0.43, खसरा नं. 183 रकबा 0.10, खसरा नं. 184 रकबा 0.86, खसरा नं. 188 रकबा 0.01, खसरा नं. 189 रकबा 0.36, खसरा नं. 190 रकबा 0.66, खसरा नं. 191 रकबा 0.30, खसरा नं. 192 रकबा 1.21, खसरा नं. 193 रकबा 0.21, खसरा नं. 203 रकबा 0.12 और खसरा नं. 204 रकबा 0.14, कुल किता 30 कुल रकबा 13.87 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 05 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 06 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगायत 02 द्वारा पत्रावली में दर्ज प्रश्नगत आराजी में पत्थरगढी बाबत अनापत्ति प्रस्तुत की। अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 04 और 05 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04 और 05 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार होने के कारण अप्रार्थी संख्या 06 का नाम पत्रावली से विलोपित किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब

K.

पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम बड़ला खेड़ा के खाता संख्या 112 संवत 2072-2075(वर्ष 2019 में रथाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा बड़लाखेड़ा पटवार क्षेत्र लामगरा भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 112 में दर्ज खसरा नं. 110 रकबा 0.15, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.29, खसरा नं. 146 रकबा 0.52, खसरा नं. 151 रकबा 2.18, खसरा नं. 152/1572 रकबा 0.10, खसरा नं. 153 रकबा 0.05, खसरा नं. 154 रकबा 0.58, खसरा नं. 155 रकबा 0.36, खसरा नं. 156 रकबा 0.20, खसरा नं. 157 रकबा 0.11, खसरा नं. 159 रकबा 0.32, खसरा नं. 160 रकबा 0.22, खसरा नं. 161 रकबा 0.24, खसरा नं. 162 रकबा 1.19, खसरा नं. 163 रकबा 0.47, खसरा नं. 164 रकबा 0.27, खसरा नं. 180 रकबा 0.37 खसरा नं. 181 रकबा 0.06, खसरा नं. 182 रकबा 0.43, खसरा नं. 183 रकबा 0.10, खसरा नं. 184 रकबा 0.86, खसरा नं. 188 रकबा 0.01, खसरा नं. 189 रकबा 0.36, खसरा नं. 190 रकबा 0.66, खसरा नं. 191 रकबा 0.30, खसरा नं. 192 रकबा 1.21, खसरा नं. 193 रकबा 0.21, खसरा नं. 203 रकबा 0.12 और खसरा नं. 204 रकबा 0.14, कुल किता 30 कुल रकबा 13.87 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार देवलियाकलां को 1000/- रु(एक हजार रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता हैं कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी